राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांकःप.14(66)(1)RSSB / अर्थना / मा.शि.वि. / पीटीआई ग्रेड–III / पा.जां / 2018 / 1384 दिनांक 22/11/19

–:: कार्यालय आदेश ::–

पीटीआई ग्रेड–III सीधी भर्ती परीक्षा–2018 के गैर–अनुसूचित क्षेत्र में अजजा श्रेणी के अभ्यर्थियों व अनुसूचित क्षेत्र में उत्कृष्ठ खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन दिनांक 21.11.2019 से 22.11.2019 तक में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देने के संबंध में।

बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 09/2018 दिनांक 04.05.2018 से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–।।। के कुल 4500 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3930 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 570) पदों पर एवं संशोधित अर्थना दिनांक 16.07.2019 से 155 एम.बी.सी (अति पिछड़ा वर्ग) के अतिरिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आंमत्रित किये गये थे। बोर्ड द्वारा श्रेणीवार वरीयता क्रम से गैर–अनुसूचित क्षेत्र के 3863 तथा अनुसूचित क्षेत्र के 463 अभ्यर्थियों का शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–।।। के पद पर अंतिम रूप से चयन किया जाकर पदस्थापन की अभिशंषा शिक्षा विभाग को भिजवायी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार पूर्व में सूचीबद्ध किये गये 1.5 गुणा अभ्यर्थियों में से **गैर–अनुसूचित क्षेत्र में अजजा के अभ्यर्थी व अनुसूचित क्षेत्र में उत्कृष्ठ खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थी** कट–ऑफ मार्क्स तक उपलब्ध नहीं रहने से एवं **माननीय उच्च न्यायालय के अनन्तिम आदेश** की पालना में उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पूर्णतया अस्थाई एवं अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध कर पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु दिनांक 21.11.2019 से 22.11.2019 तक स्थान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर नियत किया गया था।

उपरोक्तानुसार दिनांक 21.11.2019 से 22.11.2019 तक दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच कार्यक्रम में उक्त **सूचीबद्ध अभ्यर्थियों मे से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सूचित किया** जाता है कि वे **दिनांक 25.11.2019 व दिनांक 26.11.2019** को स्थान **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर** पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन करवा सकेगें। इस हेतु बाद में पुनः अवसर दिया जाना संभव नहीं होगा।

(डॉ.मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव